भरण–पोषण अधिकरण (सदर)वाराणसी

वाद संख्या–01 सन् 2016

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार गौड़

अंतर्गत धारा–05
माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक का
भरण पोषण तथा
कल्याण अधिनियम,2007
मौजा–सी0 4/142–जी–2
काजीपुर खुर्द सोनिया
तहसील–सदर, जिला–वाराणसी।

डॉ0 रामविजय विश्वकर्मा बनाम राजेशचन्द्र शर्मा आदि

निर्णय

यह वाद प्रस्तुत हुआ। यह वृद्ध माता–पिता भषण पोषण अधिनियम 2007 के अंतर्गत दाखिल किया गया है। डॉ0 रामविजय विश्वकर्मा व उनकी पत्नी मुन्नी देवी ने अपने पुत्रगण (1) राकेश चन्द्र शर्मा, (2) रमेशचन्द्र शर्मा, (3) रूपेशचन्द्र शर्मा (4) (5) रत्नेश चन्द्र शर्मा (6)रितेश चन्द्र शर्मा के विरूद्ध उक्त वाद संस्थित किया गया है। आवेदक का कथन है कि वे अत्यन्त वृद्ध दम्पति हैं और स्वतः अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। अतः भरण पोषण हेतु उनके उपर्युक्त पुत्रगण को उक्त अधिनियम के अंतर्गत आदेशित किया जाय कि वे अपने वृद्ध माता पिता के भरणपोषण हेतु उन्हें प्रत्येक व्यक्ति रूपये 1650.00 (एक हजार छः सौ पचास मात्र) दोनों को संयुक्त रूप से प्रतिमाह अलग–अलग अदा करें।

उक्त प्रकरण को सुलह अधिकारी के समक्ष उपरोक्त दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते हेतु अग्रसारित किया गया। सुलह अधिकारी ने उक्त प्रतिपक्षीगण को 14.12.2016 को नोटिस जारी किया । जिसे रजिस्टर्ड डाक से तामिला हेतु भेजा गया।

सुलह अधिकारी ने वादी व प्रतिपक्षीगण रूपेश चन्द्र शर्मा, राजेशचन्द्र शर्मा, तथा रत्नेश चन्द्र के बीच सुलह करा दिया और तद्नुसार रूपेश चन्द्र शर्मा, राजेशचन्द्र शर्मा तथा रत्नेश शर्मा प्रतिपक्षीगण अपने वृद्ध माता पिता को रूपया 1650.00 प्रत्येक प्रतिपक्षीगण प्रतिमाह धनराशि देने को तैयार है तथा उक्त प्रतिपक्षीगण रूपेशचन्द्र शर्मा, राजेश चन्द्र शर्मा व राजेश चन्द्र ने तद्नुसार भुगतान करने हेतु अपनी सहमति भी प्रदान कर दिया हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि शेष प्रतिपक्षीगण (1) राकेश चन्द शर्मा, (2) रमेशचन्द्र शर्मा व (3) रितेश चन्द्र शर्मा को रजिस्टर्ड डाक से व पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण की पूरी जानकारी करा दी गई है। मैं उक्त प्रतिपक्षीगण (1) राकेश चन्द शर्मा, (2) रमेशचन्द्र शर्मा व (3) रितेश चन्द्र शर्मा के उपर उक्त आशय की नोटिस का तामिला पर्याप्त मानता हूँ।

Sushil 18/7/17
(सुशील कुमार गौड़)
भरण–पोषण अधिकरण(सदर)
वाराणसी

भरण–पोषण अधिकरण (सदर)
वाराणसी

आदेश

वृद्ध माता–पिता भषण पोषण अधिनियम 2007 धारा–05 के अंतर्गत मैं आदेशित करता हूँ कि प्रतिपक्षीगण (1) रूपेशचन्द्र शर्मा, (2) राजेश चन्द्र शर्मा तथा (3)रत्नेश चन्द्र शर्मा, (4) राकेश चन्द शर्मा, (5) रमेशचन्द्र शर्मा तथा (6)रितेश चन्द्र शर्मा अलग–अलग रूपया 1650 (एक हजार छः सौ पच्चास)प्रति व्यक्ति प्रतिमाह भरण पोषण हेतु अपने वृद्ध माता–पिता डॉ0 रामविजय विश्वकर्मा व उनकी पत्नी मुन्नी देवी को संयुक्त रूप से प्रतिमाह अदा करें। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान होने पर उक्त धनराशि की विधिवत वसूली राजस्व के रूप में करके उक्त वृद्ध माता पिता को अदा कर दी जायेगी। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो। बाद आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांकः

Sushil 18/7/17
(सुशील कुमार गौड)
भरणपोषण अधिकरण(सदर)
वाराणसी

भरण–पोषण अधिकरण (सदर)
वाराणसी

यह निर्णय आज खुले अधिकरण में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर सुनाया व समझाया गया।

दिनांकः 18/7/17

Sushil 18/7/17
(सुशील कुमार गौड)
भरणपोषण अधिकरण(सदर)
वाराणसी

भरण–पोषण अधिकरण (सदर)
वाराणसी